14.12.18 पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं।
पत्रावली का आद्योपान्त गहन अवलोकन
किया गया। वादी द्वारा वादपत्र के तथ्य
वांछित अनुतोषादि, प्रतिवादीगण के जवाब,
एवं वादी द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात
पर सम्यक विचार किया। बहस विद्वान
अधिवक्ता वादी पर मनन किया गया।

हस्ब प्रदर्श-1 वादगत भूमि पर वादी
का नाम कुंजबिहारी अंकित है, उक्त नाम
को वादी श्याम बिहारी दर्ज करवाना चाहता

तारीख क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है। तथा प्रदर्श-2A, प्रदर्श-3A, प्रदर्श-4A-प्रदर्श-5A, प्रदर्श-6A, प्रदर्श-7A में वादी का नाम श्यामबिहारी पुत्र प्रहलाद अंकित है। उक्त नाम को वादी शुद्ध करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण का जवाब इकबालिया है, अर्थात प्रतिवादीगण जो वादगत भूमि पर वादी के साथ अभिलिखित सहखातेदार दर्ज है, को वाद वादी स्वीकार किये जाने पर कोई ऐतराज नहीं है। प्रकरण में वादी की घोषणा का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अर्थात वादी को वादगत भूमि पर कुंजबिहारी के स्थान पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता! परन्तु पक्षकारों की सहमति की हद तक वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि ग्राम रेवलीकलां की भूमि खसरा नं० 205, 228, 38, 40, 747, 749, 862, 863, 864, 867, 903, 909, किता 12 रकबा 3.90 हैक्टर पर वादी का नाम कुंजबिहारी के स्थान पर कुंजबिहारी उर्फ श्याम बिहारी अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी हो।	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … अहका… हुक्म … में ज…
	पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर बाद तामील तकमील व तरमीम दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। कृष्ण गोपाल जोजन [?] (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	

(2)

Judl/Civil
Part V-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'–1)

उपखण्ड अधिकारी ——— मुकाम ——— रामगंजमण्डी

कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.)

श्यामबिहारी ——— बनाम ——— मगनबाई

दावा बाबत ——— 88. R.T. Act. 1955

25 ——— सन् ——— 2018

[illegible] इनफिसाल करते कृ.प.क. ——— कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.)

श्री S.R. अहीर एड. ——— बिनजानिब मुद्दई व ——— प्रतिवादीगण

——— बिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

दावा वादी अंशतः स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते है, कि ग्राम रेवलीकलां की भूमि ख०नं० 205, 228, 38, 40, 747, 749, 862, 863, 864, 867, 903, 909 किता 12 रकबा 3.90 हैक्टर पर वादी का नाम कुंजबिहारी के स्थान पर कुंजबिहारी उर्फ श्यामबिहारी अंकित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

[illegible] ——— ✗ ——— फीसदी सालाना आज की तारीख

[illegible] सूद व शरह ——— ✗ ——— को अदा करे।

आज तारीख ——— 14 ——— माह ——— 12 ——— 2018.

[illegible] व मुहर अदालत के आज तारीख

दस्तखत ——— [signature]
ओहदा ——— उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible]		
[illegible] कमिश्नर		
[illegible] इश्तहार हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान	—	—

मुद्दायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी		
महनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर		
बाबत इश्तहार हुक्मनामा		
मुतफर्रिक		
मीजान ...	—	—

नोट—इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

रा. मु. [illegible] 139-2006-1,00,000 फार्म

Scanned by CamScanner